सार-समाचार

कोटा ग्रामीण एस.पी. जनसुनवाई की

रामगंजमंडी, (निसं)। कोटा ग्रामीण पुलिस की पहल पर वृत्त क्षेत्र रामगंजमण्डी जिला कोटा ग्रामीण के परिवादियों के लिये विशेष जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित की किया गया। पुलिस अधीक्षक कोटा ग्रामीण द्वारा 4 जून गुरुवार को थाना रामगंजमण्डी पर जनसुनवाई की गई। सर्किल रामगंजमण्डी क्षेत्र के परिवादीगण उपस्थित हुए जिनकी समस्याओं को सुना गया, परिवाद प्राप्त किये गये व कई परिवेदनाओं में मौके पर ही सुनवाई कर किया निस्तारण। जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा सीधे शिकायत दर्ज करवाने हेतु जारी किये गये एस. पी. हेल्पलाईन नंबर 8764520202 की आमजन को दी गई जानकारी। जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना रामगंजमण्डी पर पहुंचकर सर्वप्रथम थाने का निरीक्षण किया। जिला पुलिस अधीक्षक जिला कोटा ग्रामीण सुजीत शंकर ने बताया कि 4 जून गुरुवार को कोटा ग्रामीण पुलिस की पहल पर वृत्त क्षेत्र रामगंजमण्डी के परिवादियों के लिए थाना रामगंजमण्डी पर विशेष जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किये गये। जनसुनवाई कार्यक्रम में घनश्याम मीणा वृत्ताधिकारी वृत्त रामगंजमण्डी व प्रशिक्षु आरपीएस अंकित कुडी सहित सर्किल रामगंजमण्डी थानों के थानाधिकारी संदीप शर्मा, पु. नि. थाना रामगंजमण्डी मय पुलिस जाप्ता के तथा सीएलजी सदस्य, पत्रकार, सर्किल क्षेत्र इटावा के मौजिज व्यक्ति उपस्थित रहे। जनसुनवाई कार्यक्रम में थाना रामगंजमण्डी में करीब 25-30 लोग उपस्थित हुए जिनमें से 6-8 लोगों ने परिवाद पेश किया, जिनकी परिवेदनायें प्राप्त कर, कई मामलों को पुलिस अधीक्षक ने मौके पर ही सुना जाकर कई परिवेदनाओं को मौके पर ही निस्तारण किया एवं प्राप्त परिवेदनाओं में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

खेत बचाओ अभियान 30 जून तक

कोटा, (निसं)। जिले में 30 जून तक चलने वाले खेत बचाओ अभियान के तहत किसानों को मिट्टी स्वास्थ्य, जल संरक्षण, संतुलित पोषण प्रबंधन, प्राकृतिक एवं जैविक खेती तथा कृषि संसाधनों के सतत् उपयोग के प्रति जागरूक किया जा रहा है। अभियान के दौरान जिले में प्रत्येक ग्राम पंचायत पर कृषक गोष्ठियों के माध्यम से किसानों को मिट्टी परीक्षण के आधार पर खाद एवं उर्वरकों के उपयोग, जैविक खाद, वर्मी कम्पोस्ट, हरी खाद, जैव उर्वरकों तथा नैनो उर्वरकों के उपयोग से किसानों की रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम कर स्वयं के खेत पर निर्मित जैविक आदानों एवं प्राकृतिक खेती की विधियों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) अतीश कुमार शर्मा ने बताया कि अभियान के अंतर्गत प्राकृतिक खेती की विधियां जैसे जीवामृत, बीजामृत, घनजीवामृत, पंचगव्य तथा जैविक खेती की उन्नत तकनीकों का प्रचार-प्रसार किया जाएगा। प्रगतिशील एवं नवाचारी किसानों के खेतों पर भ्रमण कार्यक्रम आयोजित कर उनके अनुभव अन्य किसानों तक पहुंचाए जाएंगे। अभियान के दौरान कृषि एवं संबद्ध विभागों की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, फसल बीमा योजना में अधिकाधिक पंजीकरण, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी), जनसमर्थ एवं ई-केसीसी जैसे डिजिटल प्लेटफार्मों का भी व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा।

जॉइंट रिप्लेसमेंट शिविर शुरू

कोटा, (निसं)। घुटनों, कूल्हों एवं अन्य जोडों के दर्द से पीड़ित मरीजों को आधुनिक एवं विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्वामी विवेकानंद नगर स्थित ईथॉस हॉस्पिटल मे 01 जून से 30 जून तक विशेष जॉइंट रिप्लेसमेंट शिविर आयोजित किया जा रहा हैं। निदेशक प्रदीप दाधीच ने बताया की शिविर में वरिष्ठ ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट विशेषज्ञ वरिष्ठ जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन डॉ.शिव भगवान शर्मा, डॉ.राजेश गोयल तथा वरिष्ठ स्पाईन एवं ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉ.गौरव मेहता अपनी सेवाएं देंगे। शिविर के दौरान घुटनों में दर्द, सूजन, चलने-फिरने में कठिनाई, जोड़ों में अकड़न, सीढ़ियां चढ़ने में परेशानी, कूल्हों के दर्द तथा गठिया जैसी समस्याओं से ग्रसित मरीजों को विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। डॉ.राजेश गोयल के अनुसार शिविर में जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए टीकेआर (टोटल नी रिप्लेसमेंट) एवं टीएचआर (टोटल हिप रिप्लेसमेंट) पैकेज पर 10 प्रतिशत तक की विशेष छूट दी जा रही है। विशेषज्ञ टीम मरीजों की स्थिति का मूल्यांकन कर आधुनिक तकनीकों के माध्यम से उपचार की सलाह देगी। डॉ.शिव भगवान ने बताया की शिविर में डीलक्स प्राइवेट रूम सुविधा शामिल रहेगी तथा रेडियोलॉजी एवं पैथोलॉजी जांचों पर भी विशेष रियायत प्रदान की जाएगी। मरीजों को नि:शुल्क ओपीडी परामर्श के साथ बेहतर देखभाल, कम दर्द वाली आधुनिक सर्जिकल तकनीकों और शीघ्र रिकवरी की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

पक्षियों की प्यास बुझाने का संकल्प लिया

कोटा, (निसं)। भीषण गर्मी के दौर में बेजुबान पक्षियों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा एक पेड़ - एक परिंडा अभियान के तहत परिंडे लगाने का अभियान चलाया जा रहा है। अभियान का संदेश है-हर पेड़ पर हो एक परिंडा, तभी मुस्कुराएगा यह परिंदा। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष निहाल चंद के निर्देशानुसार तथा भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं मुख्यालय प्रभारी डॉ. मुकेश गर्ग के आव्हान पर चलाए जा रहे इस अभियान के अंतर्गत भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा राजस्थान के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पीडब्ल्यूडी के पूर्व अति मुख्य अभियंता सुरेश कुमार बैरवा ने कुन्हाड़ी क्षेत्र में पेड़ों पर परिंडे बांधे। उन्होंने इन परिंडों में नियमित रूप से पानी भरने का संकल्प लेते हुए पक्षियों के संरक्षण का संदेश दिया। सुरेश कुमार बैरवा ने कहा कि बढ़ती गर्मी में पक्षियों के लिए पानी की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती बन जाती है। ऐसे में समाज के प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है कि वह अपने घर, मोहल्ले और सार्वजनिक स्थलों पर पेड़ों पर परिंडे लगाकर पक्षियों की प्यास बुझाने में योगदान दे। उन्होंने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की प्रेरणा से कोटा में अप्रैल माह से मूक जीवों की प्यास बुझाने के लिए जिस तरह से परिंदे बांधने का अभियान चल रहा है वह सराहनीय है।

सरपंच पर मारपीट का आरोप

छबड़ा (निसं)। एक युवक व उसके साथी को पार्टी में सरपंच (प्रशासक) को शामिल नहीं करना उस वक्त महंगा पड़ गया, जब सरपंच ने उसके साथी के साथ मिलकर मारपीट कर डाली। पीडित ने एमपी के फतेहगढ थाने में प्रकरण दर्ज करवाया है। पीड़ित रामवतार उर्फ बबलू खटीक निवासी छबडा ने फतेहगढ़ थाने में दर्ज षिकायत में बताया कि वह अपने साथी निरंजन खारोल और बंटी अहिरवार के साथ पार्वती नदी किनारे पार्टी कर रहे थे कि यहां पहुंचे सरपंच (प्रशासक) धर्मा धाकड़ और पंकज मीना ने पार्टी में शामिल होने की बात कही। बजट कम होने का हवाला देकर मना कर देने पर दोनो पक्षो मे विवाद गहरा गया। विवाद गाली-गलौच तक जा पहुंचा। मामला इतना बढ़ गया कि विरोध करने पर पंकज मीना ने उसे जमीन पर गिरा दिया, जिससे उसके चोट आ गई। धर्मा द्वारा पत्थर से हमला कर दिया, जिससे उसके सिर पर भी गंभीर चोट आई। यहां मौजूद निरंजन खारोल व बंटी अहिरवार ने बीच-बचाव किया।

मादक पदार्थ तस्कर को 20 साल की सजा

कोटा, (निसं)। अवैध मादक पदार्थ डोडा पोस्त तस्करी के करीब 6 साल पुराने मामले में विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस ने सुनवाई के दौरान पकड़े गये आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल की सजा सुनाई साथ ही 2 लाख के अर्थ-दंड से दंडित किया। विशिष्ट लोक अभियोजक महेंद्र सिंह निर्भय ने बताया कि 27 जून 2020 को थाना अनन्तपुरा कोटा शहर ने मुखबिर की सूचना पर रानपुर रीको एरिया स्थित एक गोदाम में चेकिंग के दौरान गोदाम के कमरे से 24 कट्टों से अवैध मादक पदार्थ डोडा पोस्त कुल वज़न 360 किलो ग्राम बरामद कर शिल्ड मोहर कर जप्त किया। पुलिस ने अनुसंधान करने के पश्चात् आरोपी अमर कुंआ थाना अनंतपुरा निवासी कालू गुर्जर को एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार किया। पुलिस ने मामले में अनुसंधान के बाद आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया, मामले में 27 गवाह के बयान दर्ज करवाए गए और 178 दस्तावेज पेश किये गये।

आज चार घंटे बिजली बंद रहेगी

छबड़ा (निसं)। 132 केवी कोलूखेड़ी से संचालित 33 केवी कड़ैयानोहर फीडर पर मरम्मत कार्य और पेड़ छटाई कार्य होने के कारण चार घंटे कडैयानोहर, पाली और फलिया जीएसएस के समस्त फीडरों की विद्युत सप्लाई बंद रहेगी। सहायक अभियंता जयेंद्र सिंह झाला ने बताया कि 132 केवी कोलूखेड़ी सब स्टेशन से संचालित 33 केवी घाटाखेड़ी फीडर पर मरम्मत कार्य और पेड़ छटाई कार्य होने के कारण शुक्रवार को सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक कडैयानोहर, पाली और फलिया जीएसएस से संचालित समस्त ग्रामीण की विद्युत सप्लाई आज 4 घंटे तक बाधित रहेगी।

बून्दी को मिली पासपोर्ट सेवा केंद्र की सौगात

कोटा, (निसं)। बून्दी में नागरिक सुविधाओं के विस्तार की दिशा में गुरुवार को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि जुड़ गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नैनवां रोड स्थित प्रधान डाकघर में विदेश मंत्रायल की ओर से स्थापित पासपोर्ट सेवा केंद्र का शुभारंभ किया। इस केंद्र के प्रारंभ होने से अब बून्दी एवं आसपास के क्षेत्रों के नागरिकों को पासपोर्ट संबंधी कार्यों के लिए कोटा व जयपुर की यात्रा नहीं करनी पड़ेगी।

इस अवसर पर बिरला ने कहा कि पहले बून्दी के नागरिकों को पासपोर्ट संबंधी कार्यों के लिए जयपुर जाना पड़ता था। लंबी कतारों में लगना पड़ता था और कई बार दो-दो दिन तक रुकना भी पड़ता था। 2023 में हमने कोटा में प्रदेश के दूसरे क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय की शुरूआत की और अब यह सुविधा बून्दी में उपलब्ध होने से नागरिकों का समय, श्रम और धन तीनों की बचत होगी।

लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि पासपोर्ट केवल विदेश यात्रा का दस्तावेज नहीं, बल्कि नागरिक की पहचान और विश्वसनीयता का भी महत्वपूर्ण दस्तावेज है। उन्होंने कहा कि यह सुविधा विशेष रूप से विद्यार्थियों, युवाओं, व्यापारियों, पेशेवरों तथा विदेश यात्रा करने वाले नागरिकों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी।

बूंदी में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पासपोर्ट केन्द्र का शुभारम्भ किया।

सरल और सुलभ हुई पासपोर्ट सेवारू-बिरला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पासपोर्ट सेवाओं का निरंतर विस्तार हुआ है, जिससे ये सेवाएं अधिक सरल, पारदर्शी, त्वरित और नागरिकों के अधिक निकट पहुंची हैं। कोटा में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय का लाभ राजस्थान के 16 जिलों के नागरिकों को मिल रहा है।

पिछले तीन वर्षों में लगभग दो लाख पासपोर्ट जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार भविष्य में ई-पासपोर्ट व्यवस्था की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रही है, जिससे नागरिकों को और अधिक सुविधाएं मिलेंगी।

बिरला ने कहा कि बून्दी अपनी समृद्ध विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों और प्राकृतिक सौंदर्य के कारण देश-दुनिया में विशिष्ट पहचान रखती है। हमारा प्रयास है कि विरासत के संरक्षण के साथ-साथ आधुनिक सुविधाओं का भी विस्तार हो। पर्यटन, आधारभूत सुविधाओं और एग्रो आधारित उद्योगों के विकास के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं, जिससे जिले में रोजगार और नए अवसरों का सृजन हो सके। जब देश-दुनिया से पर्यटक बून्दी आएंगे, तो वे यहां की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ विकास और परिवर्तन की नई तस्वीर भी देखेंगे। इस दौरान पूर्व विधायक अशोक डोगरा, भाजपा जिलाध्यक्ष रामेश्वर मीणा, विदेश मंत्रायल की सचिव, श्रीप्रिया रंगनाथन, जिला कलेक्टर हरफूल यादव, पोस्ट मास्टर जनरल (दक्षीणी क्षेत्र) बीएल सोनल, पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट निदेशक अर्जुन देवरे, क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी विपुल देव आदि मौजूद रहे।

छबड़ा के गीतकार दयाल परमार सम्मानित

कोटा, (निसं)। बारां जिले के छबड़ा क्षेत्र के प्रसिद्ध फिल्मी गीतकार दयाल परमार को 3 जून बुधवार को गुना मध्यप्रदेश में "उदन्त मार्तण्ड लोक संवाद सम्मान-26" से सम्मानित किया गया।

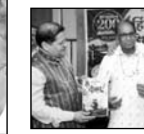

पांच राज्यों के 44 प्रख्यात साहित्यकारों, कवि, गीतकार, एवं संपादक-पत्रकारों को मध्यप्रदेश की प्रख्यात साहित्य संस्था दृष्टि गुना द्वारा हिन्दी पत्रकारिता के द्विबशताब्दी वर्ष पूर्ण होने पर साहित्यक पत्रिका समागम सम्मान के भव्य समारोह में सम्मानित किया गया। दयाल परमार छबड़ा के गीतकार ने राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए उक्त सम्मान प्राप्त किया है।

नाम परिवर्तन

मैंने अपना पुराना नाम शब्बीर से बदलकर नया नाम शब्बीर इदरीस नागपूरवाला रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जावे।
पता-शब्बीर इदरीस नागपूरवाला पुत्र इदरीस इब्राहिमपुरा सुनेल झालावाड़

खोया पाया

मेरे मकान नं. 1-न-26 टीचर्स कॉलोनी केशवपुरा के आवंटन पत्र, निरस्तिकरण पत्र, मांग पत्र, नियमितिकरण एवं अदेय प्रमाण पत्र व अनुज्ञा पत्र कही पर खो गये है। कृपया जिस किसी को मिले निम्न पते पर पहुंचाने का कष्ट करें।
पता-7-D-16 महावीर नगर विस्तार योजना ज्योति माधवानी मो.न. 9829036990

प्रशासन ने अतिक्रमण हटाया

कोटा, (निसं)। सीएडी विभाग की करीब डेढ़ बीघा सरकारी भूमि पर अवैध मादक पदार्थ तस्करों द्वारा किये गये कब्जा हटाने व दो मकानों को ध्वस्त करने के लिये उच्च अधिकारियों के निर्देश पर सिमलिया पुलिस टीम ने कार्यवाही करते हुए भूमि पर किये गये कब्जे को हटाते हुए दो मकानों को ध्वस्त कराने की कार्यवाही की। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने बताया कि सीमलिया क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थ तस्करी में संलिप्त आरोपियों सुगना बाई, एवं धीरज द्वारा एनएच-52 के पास सीएडी विभाग की भूमि नहर किनारे किये गये करीबन डेढ बीघा भूमि के कब्जा को हटाने के लिये पुलिस उप अधीक्षक मदन ढाका प्रो. आरपीएस के सुपरविजन में सिमलिया थानाधिकारी नन्दसिंह के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया एवं कार्यवाही के लिये निर्देश दिये गये। ग्रामीण एसपी ने बताया कि गठित टीम ने मामले में कार्यवाही करते हुए सीएडी विभाग की करीबन डेढ बीघा जमीन को मुक्त करवाया एवं भूमि पर अवैध रूप से बने हुए दो मकानों को सीएडी विभाग व पुलिस प्रशासन द्वारा ध्वस्त कराया गया।

पर्यावरण दिवस पर फैशन के माध्यम से जागरूकता का संदेश दिया

कोटा, (निसं)। विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर विज्ञान नगर स्थित कुटुर इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलोजी संस्थान द्वारा पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से दो दिवसीय कार्यक्रम "फॉलो 4आर रूल टु सेव एनवायरनमेंट" आयोजित किया गया जिसमे संस्थान के विध्यार्थियों माही वर्मा, गुनगुन डागार, आँचल वैष्णव और मनीषा पारीक ने ड्रेसेस, एक्सेसरीज़ तैयार किये और साथ ही प्लास्टिक बॉटल से बर्ड फीडेर्स भी तैयार किए और फैशन के माध्यम से वातावरण के लिए हानिकारक प्लास्टिक, फ़ैब्रिक, पॉलिथीन, गाड़ियों, फेकटरीयों से होने वाले प्रदूषण के कारणों को दर्शाने का प्रयास किया। साथ ही 4-आर रुल (रेफ्यूज-अस्वीकार, रेडुस-कम करना, रीयूस-पुनः उपयोग, रीसाईकल-पुनः नवीनीकरण) को भी दर्शाया गया।

पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से कुटुर इंस्टीट्यूट ऑफ फ़ैशन टेक्नोलोजी संस्थान का कार्यक्रम हुआ।

रेफ्यूज (एक बार यूस होने वाली प्लास्टिक का इस्तेमाल न करें) रेडुस (बिजली बचाएं-पानी बचाएं-ईंधन का इस्तेमाल कम करें) रीयूस(समान एक बार से ज्यादा इस्तेमाल करें-पुराने कपड़ों के बाग इस्तेमाल करें) रीसाइकल (वेस्ट को अलग अलग करें जिससे पुनः नवीनीकरण करके कुछ नया बनाया जा सकें) कलेक्शन को संस्थान के मॉडल्स अशमी राजवंशी, वीरा चंदवानी, जीविका करवानी और कनिष्का मेवारा ने प्रस्तुत किया। संस्था की निदेशक पुजा राजवंशी ने सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएँ दी और विद्यार्थियों के प्रयास की सराहना की और कहा कि पर्यावरण के लिए सभी को एक जुट होकर काम करना चाहिए। पुजा राजवंशी ने बताया कि कार्यक्रम के दूसरे दिन वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और बर्ड फीडेर्स भी लगाए जाएंगे।

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक :- एफ 11/ विक्रय/2026/2655 दिनांक : 13.5.2026

नाम हस्तातंरण बाबत आम सूचना

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण कोटा द्वारा आवास / भूखण्ड संख्या-DL-77 मोहन लाल सुखाडिया अर्फोडेबल योजना का आवंटन के पत्र कमांक 87 दिनांक 25.06.2019 द्वारा श्री देवेन्द्र कुमार डोगरा पुत्र श्री ठाकुर सिहं डोगरा के पक्ष में किया गया था। श्री देवेन्द्र कुमार डोगरा कि मृत्यु दिनांक 13.09.2022 को हो चुकी है। मृत्यु के पश्चात श्री देवेन्द्र कुमार डोगरा के विधिक वारिसान के द्वारा श्री विवेक डोगरा पुत्र श्री स्व देवेन्द्र कुमार डोगरा के पक्ष में हक का त्याग किया गया है। हकत्याग ग्रहिता श्री विवेक डोगरा पुत्र श्री स्व देवेन्द्र कुमार डोगरा के नाम हस्तांतरण चाहा गया है। अतः जरिये आम सूचित किया जाता है यदि इस नाम हस्तांतरण की स्वीकृती देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिन के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति दर्ज करावे अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त आवास /भूखण्ड संख्या- DL-77 मोहन लाल सुखाडिया अर्कोडेबल योजना का नाम हस्तांतरण श्री विवेक डोगरा पुत्र श्री स्व देवेन्द्र कुमार डोगरा के नाम से जारी कर दिया जावेगा।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक :- एफ 11 विक्रय/2026/323 दिनांक : 4.6.2026

नाम हस्तातंरण चाहने बाबत आम सूचना

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा द्वारा भूखण्ड संख्या 40 श्रीनाथपुरम-ए व्यावसायिक योजना में आवंटन पत्र क्रमांक 467 दिनांक 09.01.2023 को श्रीमती संध्या पत्नी श्री पुरुषोत्तम के नाम आवंटन किया गया था। श्रीमती संध्या पत्नी श्री पुरूषोत्तम द्वारा उक्त भूखण्ड़ का जर्ये मुख्तारआम श्री लाभांश सिंघल पुत्र श्री गजानन्द सिंघल द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 18.04.2026 को श्रीमती दीक्षा पंचौली पत्नी श्री शिखर खन्ना को विक्रय कर दिया गया है। अतः श्रीमती दीक्षा पंचौली पत्नी श्री शिखर खन्ना द्वारा उक्त भूखण्ड़ का स्वामित्व अपने नाम से नामहस्तान्तरण करने हेतु प्राधिकरण में आवेदन प्रस्तुत किया गया है।
अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात् उक्त भूखण्ड संख्या 40 श्रीनाथपुरम-ए व्यावसायिक योजना का नाम हस्तान्तरण श्रीमती दीक्षा पंचौली पत्नी श्री शिखर खन्ना के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक-535 **जाहिर आम सूचना** दिनांक-04.06.26

आवास संख्या 1-ध-5 दादाबाडी, कोटा का आवंटन मण्डल द्वारा श्री नरसिंह पाल पुत्र श्री रंजीत सिंह को किया गया था। उक्त आवास का पंजीयन श्री नरसिंह पाल पुत्र श्री रंजीत सिंह द्वारा दिनांक 28.07.1990 को अपने पक्ष में करवाया जा चुका है। पंजीयन उपरान्त श्री नरसिंह पाल पुत्र श्री रंजीत सिंह द्वारा उक्त आवास का बेचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 05.03.2014 को श्री गुलाबचंद कुमावत पुत्र श्री छोटलाल कुमावत को किया गया। श्री गुलाबचंद कुमावत पुत्र श्री छोटलाल कुमावत का नाम उक्त आवास के मण्डल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर दिनांक 03.06.2014 को दर्ज किया जा चुका है। तत्पश्चात श्री गुलाबचंद कुमावत पुत्र श्री छोटलाल कुमावत द्वारा उक्त आवास का बेचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 11.03.2026 को श्री सुनील खटवानी पुत्र श्री प्रीतम खटवानी को किया गया। श्री सुनील खटवानी पुत्र श्री प्रीतम खटवानी द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 1-ध-5 दादाबाडी, कोटा को विक्रय पत्र के आधार पर अपना नाम आवास के मण्डल अभिलेख मे दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया है।
अतः इस आवास के मण्डल अभिलेख में श्री सुनील खटवानी पुत्र श्री प्रीतम खटवानी का नाम विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज करने में किसी भी पक्षकार / व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि इस आवास के मण्डल अभिलेख में श्री सुनील खटवानी पुत्र श्री प्रीतम खटवानी का नाम विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज किये जाने में किसी भी व्यक्ति / पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास के मण्डल अभिलेख में श्री सुनील खटवानी पुत्र श्री प्रीतम खटवानी का नाम विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

कार्यालय नगर निगम, कोटा

क्रमांक-ननिको/भ.नि.अनु./जोन-द्वितीय/2026/6298-99 दिनांक-3.6.26

सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री अरविन्द कुमार शर्मा पुत्र श्री जगदीश प्रसाद शर्मा निवासी 6-ए, डडवाडा, कोटा जं कोटा राजस्थान द्वारा जिसका क्षेत्रफल 113.58 वर्गगज का स्वामित्व स्वंय के नाम हस्तानान्तरण हेतू आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है।
आवास/भूखण्ड 6-ए डडवाडा कोटा स्थित भूखण्ड का आवंटन कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भूमि रूपान्तरण, कोटा के द्वारा पट्टा क्रमांक 17-21 दिनांक 07.01.1985 को श्रीमती शान्ति देवी पत्नी श्री जगदीश प्रसाद शर्मा जिसका कुल क्षेत्रफल 113.58 वर्गगज आंवटित किया गया। श्रीमती शान्ति देवी पत्नी श्री जगदीश प्रसाद शर्मा की मृत्यु दिनांक 05.01.2019 को हो चुकी है एंव श्री जगदीश प्रसाद शर्मा की मृत्यु दिनांक 27.07.1992 को हो चुकी है। श्रीमती श्रीमती शान्ति देवी पत्नी श्री जगदीश प्रसाद शर्मा के विधिक वारीसान 1. श्रीमती उषा तिवाडी पत्नी श्री गोपाल कृष्ण तिवारी पुत्री स्व. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा 2. श्रीमती रूकमणी शर्मा पत्नी श्री श्याम मोहन शर्मा पुत्री स्व. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा 3. श्रीमती शीला शर्मा पत्नी श्री गोपाल शर्मा पुत्री स्व. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा 4. श्रीमती शोभा पत्नी श्री महेन्द्र पुत्री स्व. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा द्वारा दिनांक 19.02.2026 को रजिस्ट्रर्ड रिलीज डीड़ आवेदक श्री अरविन्द कुमार शर्मा पुत्र श्री जगदीश प्रसाद के पक्ष मे निष्पादित किया गया।
आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार आवास/भूखण्ड 6-ए डडवाडा कोटा द्वारा कुल क्षेत्रफल 113.58 वर्गगज का नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त आवास /भूखण्ड 6-ए, डडवाडा कोटा का नाम हस्तान्तरण करने में किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य कोई जो उक्त भूखण्ड से संबध रखता है, को कोई आपती हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 07 दिवस में अपनी आपती लिखित रूप से अधो-हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करें। उक्त निर्धारित समयावधि के पश्चात कोई आपती मान्य नही होगी।

उपायुक्त नगर निगम, कोटा

इलेक्ट्रिकल व्हीकल व पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना समय की जरूरत : आरटीओ

कोटा, (निसं)। जलवायु परिवर्तन के खतरे को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए लम्बे समय से प्रयासरत हम लोग संस्था की। बैठक गुरुवार को नयापुरा में आयोजित की गई। संस्था के संयोजक डॉ.सुधीर गुप्ता ने बताया कि बैठक में प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कोटा मनीष शर्मा मुख्य अतिथि थे। शर्मा ने हम लोग संस्था की ओर से पर्यावरण संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण, वाईल्ड लाईफ, जल संरक्षण आदि उनके भी पसंदीदा विषय रहे हैं तथा वे भी दिल से इनके संरक्षण में रूचि रखते हैं।

कोटा में हम लोग संस्था की बैठक में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर गहन चर्चा की गई।

कोटा शहर में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए किए जाने वाले प्रयासों में इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ लोगों की जागरूकता को बढ़ाना एक अहम कदम बताया। शर्मा ने कहा कि ऊर्जा संरक्षण को ध्यान में रखते हुए अब समय आ गया है कि हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल पर शिफ्ट होना होगा।

वर्तमान में इसमें कई तरह की समस्याएं हो सकती है, लेकिन इसकी शुरुआत अब सभी को करनी ही होगी। इसमें चार्जिंग पॉइंट कम होना, गाड़ियों का महंगा होना, गाड़ियों की एक चार्जिंग में चलने की क्षमता कम होना जिससे लम्बी दूरी पर जाने में डर लगना आदि कई समस्याएं झेलनी पड़ सकती है, लेकिन हमें यह भी सोचना होगा कि मैं भारत का एक जिम्मेदार नागरिक हूं और पर्यावरण को मैं कोई नुकसान नहीं कंरूगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल में डीजल पेट्रोल की अपेक्षा परिवहन खर्च काफी कम है, यह भी इसे अपनाने का एक प्रमुख कारण हो सकता है। इसके साथ ही इलेक्ट्रिकल व्हीकल शोर नहीं करते, जिससे वायु प्रदूषण नहीं होता। इसके साथ ही युवा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए अपना चार्जिंग स्टेशन खोलकर भी रोजगार से जुड़ सकते हैं, जिससे इलेक्ट्रिकल व्हीकल वाले लोगों का चार्जिंग स्टेशन भी मिल जाएंगे।

आरटीओ शर्मा ने कहा कि शहर में वायु प्रदूषण की रोकथाम का सबसे कारगर उपाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं। लोगों को अपने स्वयं के वाहनों में चलने की जगह शहर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने की आदत डालनी चाहिए। शर्मा ने कहा कि कोटा शहर में नगर निगम की ओर से करीब 100 इलेक्ट्रिक बसें पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए संचालित करने का निर्णय लिया गया है। इनमें से 40 बसें शीघ्र आने वाली है, यह प्राईवेट कंपनी की ओर से संचालित होंगी।

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक-543 **जाहिर आम सूचना** दिनांक-04.06.26

आवास संख्या 1-सी-3 तलवंडी, कोटा का आवंटन मण्डल द्वारा श्री उमाशंकर तिवारी पुत्र श्री धनप्रसाद तिवारी को किया गया था। इस आवास का पंजीयन श्री उमाशंकर तिवारी पुत्र श्री धनप्रसाद तिवारी द्वारा दिनांक 28.08.1990 को अपने पक्ष में करवाया गया। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्री उमाशंकर तिवारी पुत्र श्री धनप्रसाद तिवारी की मृत्यु दिनांक 21.07.2005 को एवं इनकी पत्नी श्रीमती शंकुतला तिवारी मृत्यु दिनांक 24.03.2023 हो चुकी हैं। इनकी मृत्यु उपरांत इनके वारिसानों में श्री नितिन तिवारी पुत्र स्व. श्री उमा शंकर तिवारी एवं श्रीमती रिनी त्रिवेदी पुत्री स्व. श्री उमा शंकर तिवारी द्वारा उक्त आवास में निहित अपने अविभाजित हिस्से का त्याग जरिये हक त्याग पत्र (रिलीज डीड) आलेखित कर दिनांक 04.05.2026 को इनके भाई श्री नवीन तिवारी पुत्र स्व. श्री उमा शंकर तिवारी के पक्ष में किया गया। श्री नवीन तिवारी पुत्र स्व. श्री उमा शंकर तिवारी द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 1-सी-3 तलवंडी, कोटा को उक्त आवास का हस्तांतरण / प्रतिस्थापन अपने नाम आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, घोषणा पत्र एवं रिलीज डीड (हक त्याग पत्र) के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया।
अतः उक्त आवास का हस्तांतरण / प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बंधक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं रिलीज डीड (हक त्याग पत्र) के आधार पर श्री नवीन तिवारी पुत्र स्व. श्री उमा शंकर तिवारी के नाम करने में किसी भी पक्षकार / व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें अन्यथा यह मानते हुए कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री नवीन तिवारी पुत्र स्व. श्री उमा शंकर तिवारी के नाम किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास का हस्तांतरण / प्रतिस्थापन श्री नवीन तिवारी पुत्र स्व. श्री उमा शंकर तिवारी के नाम कर दिया जायेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

पर्यावरण संरक्षण के लिये विभिन्न कार्यक्रम आयोजित

कोटा, (निसं)। डीसीएम श्रीराम लिमिटेड, कोटा अपने संचालन क्षेत्र के आसपास के स्थानीय समुदायों के सर्वांगीण विकास तथा सामाजिक उत्थान के लिए निरंतर कार्यरत है। इसी उद्देश्य से कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित विभिन्न सामुदायिक विकास कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।

कार्यकारी निदेशक एवं रेजीडेन्ट हेड, वीनू मेहता के मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल करते हुए संस्थान के हरित आवरण को बढ़ाने तथा जल संरक्षण के क्षेत्र में अनेक कार्य किए गए हैं। इसी क्रम में संस्थान द्वारा कारखाना परिसर एवं आसपास के क्षेत्रों में प्रतिवर्ष पौधारोपण अभियान संचालित किए जाते रहे हैं। इन निरंतर प्रयासों के अंतर्गत कारखाना परिसर के आसपास के क्षेत्रों में अब तक 20,000 से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। इसके साथ ही, वर्तमान में कारखाना परिसर का लगभग 33 प्रतिशत क्षेत्र हरित आवरण के रूप में विकसित है, जो संस्थान की पर्यावरणीय प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क, कोटा में भी संस्थान के सहयोग से अब तक 21,000 से अधिक स्थानीय प्रजातियों के पौधे लगाए जा चुके हैं। यह पहल हरित आवरण बढ़ाने, जैव विविधता संरक्षण एवं पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में संस्थान द्वारा कोटा एवं झालावाड़ जिलों में कुल 29 वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया गया है। इन संरचनाओं के माध्यम से लगभग 40 मिलियन क्यूबिक फीट (एमसीएफटी) जल भंडारण क्षमता का सृजन हुआ है, जिससे भूजल स्तर सुधार को बढ़ावा मिला है, जल उपलब्धता में वृद्धि हुई है तथा ग्रामीण क्षेत्रों की जलवायु अनुकूलन क्षमता सुदृढ़ हुई है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर डीसीएम श्रीराम लिमिटेड, पर्यावरण संरक्षण एवं निरंतर विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुनः दोहराता रहा है।

कार्यालय नगर पालिका छबडा जिला बारां

क्रमांक-न.पा.छ./2026/1744 **आपत्ति आमंत्रण सूचना** दिनांक-1.6.2026

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न व्यक्ति द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" की उपधारा (B) के अधीन स्थानीय प्राधिकरण के न्यायधीश रखी गयी भूमि का नियमितिकरण और आवंटन हेतु अधिसूचना क्रमांक एफ 3 (50) युडीएच/3/2012 मई 31.2012 के आध्याय 3 के बिन्दु सं. 16 के प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा एवं आवंटन) नियम 2012 के नियम 2012 के 22 अन्तर्गत नियमितिकरण/आवंटन हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो मय दस्तावेज प्रमाण के 07 दिवस की अवधि में इस कार्यालय में लिखित रूप से प्रस्तुत कर दे। समयावधि गुजरने के बाद कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

क्र. सं.	आवेदक/हितबद्ध व्यक्ति का नाम	खसरा सं	स्थान/कॉलोनी का नाम	भूखण्ड सं.	क्षेत्रफल (वर्गफीट)
1	श्री बंशीलाल आत्मज श्री मांगीलाल जाति धाकड़ निवासी ग्राम खाखरा तह. छबड़ा जिला बारां (राज.)	320	छबड़ा कुम्भराज मैन रोड पर स्थित कॉलोनी	11 का पश्चिमी दिशा का भाग	कुल साईज 15x50 = 750

नोट- उक्त भूखण्ठ अनुमोदित योजना के ले-आउट प्लान की सीमा से बाहर व मास्टर प्लान 2023 में दर्शित भू-उपयोग से भिन्न होने की स्थिति में पत्रावली निरस्त कर दी जायेगी।

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका छबडा

कार्यालय नगर पालिका छबडा जिला बारां

क्रमांक-न.पा.छ./2026/1741 **आपत्ति आमंत्रण सूचना** दिनांक-01.06.26

सर्वसाधरण को सूचित किया जाता है कि निम्न व्यक्ति द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" की उपधारा (B) के अधीन स्थानीय प्राधिकरण के न्यायधीश रखी गयी भूमि का नियमितिकरण और आवंटन हेतु अधिसूचना क्रमांक एफ 3 (50) युडीएच/3/2012 मई 31.2012 के आध्याय 3 के बिन्दु सं. 16 के प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा एवं आवंटन) नियम 2012 के नियम 2012 के 22 अन्तर्गत नियमितिकरण/आवंटन हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो मय दस्तावेज प्रमाण के 07 दिवस की अवधि में इस कार्यालय में लिखित रूप से प्रस्तुत कर दे। समयावधि गुजरने के बाद कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

क्र. सं.	आवेदक/हितबद्ध व्यक्ति का नाम	खसरा सं	स्थान/कॉलोनी का नाम	भूखण्ड सं.	क्षेत्रफल (वर्गफीट)
1	श्री त्रिलोकचन्द आत्मज श्री मांगीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम खाखरा तह. छबड़ा जिला बारां (राज.)	320	छबड़ा कुम्भराज मैन रोड पर स्थित कॉलोनी	11 का	20X60 में से 5x50= 250 पुर्वी भाग
				12 का	20x60 में से 10x50= 500 पश्चिमी भाग
				11,12	कुल साईज 15x50= 750

नोट- उक्त भूखण्ठ अनुमोदित योजना के ले-आउट प्लान की सीमा से बाहर व मास्टर प्लान 2023 में दर्शित भू-उपयोग से भिन्न होने की स्थिति में पत्रावली निरस्त कर दी जावेगी।

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका छबडा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक-442 **जाहिर आम सूचना** दिनांक-26.05.26

श्री कैलाश चन्द मीणा पुत्र श्री हीरालाल मीणा द्वारा विशिष्ट पंजीकरण योजना के अन्तर्गत चालान सं. 0731 से 30000रु जमा करवा कर 2008 में उच्च आय वर्ग में रामगंजमडी शहर हेतु पंजीकरण करवाया गया। मण्डल द्वारा आवेदक की वरियता 02/HIG/G-4/HPS/08 निर्धारित की गई। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्री कैलाश चन्द मीणा पुत्र श्री हीरालाल मीणा की मृत्यु दिनांक 17.01.2026 को हो चुकी है। इनकी मृत्यु उपरांत इनके वारिसानों में इनकी पत्नी श्रीमती नन्दूबाई एवं इनकी पुत्रीया श्रीमती शंकुतला मीणा पत्नी कृष्ण मुरारी मीणा, श्रीमती प्रमिला मीणा पत्नी शिवराज एवं इनके पुत्र श्री दुर्गाशंकर मीणा द्वारा उक्त आवास में निहित अपने अविभाजित हिस्से का त्याग जरिये घोषणा पत्र आलेखित कर श्री हरिशंकर मीणा पुत्र स्व. श्री कैलाशचन्द मीणा के पक्ष में किया गया। श्री हरिशंकर मीणा पुत्र स्व. श्री कैलाशचन्द मीणा द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर पंजीकरण संख्या 0731 वरियता क्रमांक 02/HIG/G-4/HPS/08 का हस्तांतरण / प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बंधक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं घोषणा-पत्र के आधार पर किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है।
अतः उक्त पंजीकरण का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन शपथ पत्र, घोषणा पत्र, क्षतिपूर्ति बंधक पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्री हरिशंकर मीणा पुत्र स्व. श्री कैलाशचन्द मीणा के नाम करने में किसी भी पक्षकार / व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि उक्त पंजीकरण का हस्तांतरण / प्रतिस्थापन श्री हरिशंकर मीणा पुत्र स्व. श्री कैलाशचन्द मीणा के नाम किये जाने में किसी भी व्यक्ति / पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त पंजीकरण का हस्तांतरण / प्रतिस्थापन श्री हरिशंकर मीणा पुत्र स्व. श्री कैलाशचन्द मीणा के नाम कर दिया जायेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक-531 **जाहिर आम सूचना** दिनांक-04.06.26

आवास संख्या 3-घ-21 विज्ञान नगर, कोटा का आवंटन मण्डल द्वारा श्री संतोष कुमारी पत्नि श्री प्रभु दयाल को किया गया था। इस आवास का नियमितिकरण श्रीमती बृजलता चौधरी पत्नि श्री बच्चू सिंह के नाम दिनांक 29.07.1995 को किया गया। उक्त आवास का पंजीयन श्रीमती बृजलता चौधरी पत्नि श्री बच्चू सिंह द्वारा दिनांक 01.11.1995 को अपने पक्ष में करवाया गया। श्रीमती बृजलता चौधरी पत्नि श्री बच्चू सिंह द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 08.08.2008 को श्रीमती निर्मल अरोड़ा पत्नि श्री सुरेन्द्र कुमार अरोड़ा को किया गया। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्रीमती निर्मल अरोड़ा पत्नि श्री सुरेन्द्र कुमार अरोड़ा की मृत्यु दिनांक 05.08.2022 को हो चुकी है। इनकी मृत्यु उपरांत इनके वारिसानों में श्री सुरेन्द्र कुमार अरोड़ा पुत्र श्री दौलत राम, श्रीमती टीना अरोड़ा पुत्री श्री सुरेन्द्र कुमार अरोड़ा पत्नी श्री सौरभ सिंह एवं श्रीमती अमीषा अरोड़ा पुत्री श्री सुरेन्द्र कुमार अरोड़ा पत्नि श्री भारत अरोड़ा द्वारा उक्त आवास में निहीत अपने अविभाजित हिस्से का त्याग जरिये रिलीज डीड (त्याग पत्र) आलेखित कर दिनांक 29.05.2023 को श्री चिराग आरोड़ा पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार अरोड़ा के पक्ष में किया गया। श्री चिराग आरोड़ा पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार अरोड़ा द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 3-घ-21 विज्ञान नगर कोटा को उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं रिलीज डीड (त्याग पत्र) के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया।
अतः उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, घोषणा पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं रिलीज डीड (हक त्याग पत्र) के आधार पर श्री चिराग आरोड़ा पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार अरोड़ा के नाम करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि उक्त आवास का हस्तांतरण / प्रतिस्थापन श्री चिराग आरोड़ा पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार अरोड़ा के नाम किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री चिराग आरोड़ा पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार अरोड़ा के नाम कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा